



सुरक्षा गार्ड आपूर्ति करने हेतु निविदा विवरणी

तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें :

1. सरकार के द्वारा निबंधित कंपनी/फर्म/एजेन्सी की प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
2. बिहार सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिनियम 2005 के अधीन वैध निबंधित सुरक्षा एजेन्सी हीं निविदा में भाग ले सकते हैं, एवं डी०जी०आर० पंजीकृत इन्फैंट्री विंग सुरक्षा एजेन्सी नई दिल्ली के द्वारा बिहार के लिए निबंधित होने का छाया प्रति अनिवार्य।
3. बिहार सरकार के द्वारा निबंधित इ०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
4. संबंधित संस्था का सेवा कर एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
5. संबंधित संस्था का विगत 03 वर्षों का अद्यतन आयकर वापसी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
6. संबंधित संस्था का विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर / आय-व्यय एवं ऑडिट रिपोर्ट न्यूनतम 01 करोड़ की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
7. बिहार सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में न्यूनतम दो वर्षों में 200 (दो सौ) सेवानिवृत्त फौजी/सुपरवाइजर की सेवा प्रदान करने संबंधित कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य। बिहार सरकार के अस्पताल में कार्य अनुभव संस्थान को वरीयता दी जाएगी।
8. आई०एस०ओ० एवं ओ०एच०एस०ए०एस० (OHSAS) 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा की सेवा प्रदाता प्रमाणित संस्था को वरीयता दी जाएगी (छाया प्रति संलग्न करना होगा)
9. सफल निविदादाता को एकरारनामा के समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा (शोधन क्षमता प्रमाण पत्र) Solvency Certificate रू० 05 लाख धरोहर राशि के रूप में मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
10. निविदादाता को निविदा के साथ रू० 25,000/- (रू० पचीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन के तिथि के बाद का होना चाहिए।
11. बिहार सरकार एवं भारत सरकार के परियोजना / इकाई के द्वारा काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शपथ प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित शर्त :-

- निविदादाता को वित्तीय निविदा हेतु अपना प्रस्तावित वर्तमान दर डी०जी०आर० न्यू दिल्ली एवं बिहार सरकार द्वारा कुशल एवं अति कुशल के साथ ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०, बोनस, पोशाक, आवास, अवकाश सेवा कर एवं सेवा शुल्क अनिवार्य होगा।

सुरक्षा गार्ड का प्रकार	दर सभी शुल्क के साथ/प्रति माह प्रति गार्ड रू० में	
	बिना सशस्त्र	सशस्त्र के साथ
सेवानिवृत्त फौजी/अर्द्धसैनिक बल		
सेवानिवृत्त सुपरवाइजर		
प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड		
प्रशिक्षित सुपरवाइजर		

निविदा हेतु अन्य शर्तें:

- स्पष्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदा ही स्वीकार किया जायेगा, प्रस्तावित वर्तमान दर से कम होने पर निविदादाता की वित्तीय रद्द कर दी जाएगी।
- चयनित एजेन्सी को सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए पहचान पत्र एवं सामान पोशाक उपलब्ध कराना होगा।
- चयनित एजेन्सी को डी०जी०आर०, नई दिल्ली एवं बिहार सरकार के द्वारा संशोधित निर्धारित वर्तमान दर के अनुरूप ही विपत्र देना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता के द्वारा प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
- तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदा का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- सफल निविदादाता एजेन्सी/संस्थान से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की संख्या, संख्या में कटौती/वृद्धि शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्णायक होगी।
- संबंधित सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षक की उम्र सीमा 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए एवं उनसे तीन पालियों में कार्य लिया जायेगा।
- उक्त सभी सेवाओं के लिए एकरारनामा एक वर्ष की होगी एवं कार्य संतोषप्रद रहने के उपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा द्वारा विस्तार संबंधी निर्णय लिया जायेगा।
- किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद- विवाद निष्पादन का अधिकार स्थानीय एवं राज्य स्तर पर की जाएगी।
- जिला स्वास्थ्य समिति शेखपुरा निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त या संशोधन कर सकती है।

Updug
28.11.17
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

Amr
22/11/17
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन